बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–भवन / मु0अभि0(पटना)यो0विविध 8–57 / 2017 206 , दिनांक 7/9/17

कार्यालय आदेश

सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना के परिसर अवस्थित विभिन्न हॉल / सभागार के किराया निर्धारण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक 5287 दिनांक 18.08.2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में समीक्षोपरांत विभाग के स्तर से सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना के विभिन्न हॉल / सभागार के प्रतिदिन की दर से किराया एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत् है:–

क्र.सं	स्थल	किराया की राशि प्रतिदिन सामान्यतः 9:00 AM से 8:00 PM तक (बुकिंग चार्ज एवं परिचालन खर्च सहित)
01.	ज्ञान भवन के द्वितीय तल पर 800 क्षमतावाले सभागार, वी0आई0पी0 कक्ष सहित	₹1,50,000 / –(एक लाख पचास हजार)
02.	ज्ञान भवन के भूतल पर अवस्थित बहूदेशीय हॉल	₹50,000 / –(पचास हजार)
03.	ज्ञान भवन के प्रथम तल पर अवस्थित कमरा / हॉल	₹50,000 / –(पचास हजार)
04.	ज्ञान भवन के तृतीय तल पर अवस्थित कमरा / हॉल	₹50,000 / –(पचास हजार)
05.	मुख्य कन्वेंशन केन्द्र (5000 क्षमता वाले सभागार)	₹2,50,000 / –(दो लाख पचास हजार)

II. (i) उपरोक्त निर्धारित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अगले वर्ष दर की पुनः समीक्षा (Review) की जायगी।

(ii) भवन निर्माण विभाग के भवन प्रमंडल, पटना के द्वारा Facility Management Service के माध्यम से भवन का रख रखाव किया जायेगा।

(iii) जबतक विद्युत संबंधन प्राप्त नहीं हो जाता है तथा संवेदक एजेन्सी के द्वारा कार्य पूर्ण कर सभी भवनों का समेकित हस्तान्तरण नहीं हो जाता है तबतक आरक्षण के विरुद्ध सभी आयोजनों के दौरान सभी तरह के Plant and Machinery का परिचालन, Fuel Cost एवं House keeping इत्यादि सभी तरह का कार्य के लिए संवेदक फर्म मे0ए0सी0आई0एल0 के द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों के लिए संवेदक फर्म के द्वारा Logbook के आधार पर समर्पित विपत्र के विरुद्ध विभाग के द्वारा भुगतान किया जायेगा। Facility Management Service के लागू होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

III. सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना के विभिन्न हॉलों के आरक्षित करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना द्वारा निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:–

01. उपरोक्त भवनों का उपयोग सभी सरकारी विभाग / गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था / निजी संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा।
02. भवनों का आरक्षण "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर किया जायेगा लेकिन सरकारी विभागों के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी।
03. उक्त भवनों को आरक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि संबंधित भवनों में परीक्षा संबंधी किसी प्रकार का कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अमर्यादित कार्य, किसी प्रकार का अमर्यादित इवेंट (Event) तथा शादी विवाह या मांगलिक कार्य नहीं किये जायेंगे।

04. भवनों के उपयोग में टूट–फूट होने पर इसकी भरपाई संबंधित आयोजक/आवंटी से किया जायेगा।

05. भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

06. जमानत की राशि–10,000/–(दस हजार) होगी। जमानत की राशि को आयोजन के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् आयोजक को वापस किया जायेगा।

IV. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

7/9/17

(साकेत कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 8094 (भ) पटना, दिनांक– 7/9/17

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना/भू–सम्पदा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

7/9/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 8094 (भ) पटना, दिनांक– 7/9/17

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/9/17

सरकार के अपर सचिव